

11

प्रकरण क्रमांक:- II/कजरना/राजस्व/भू.रा/2018/1621
/2018

सत्यप्रभा पाठक पति हरिगोविन्द पाठक साकिम ढोंगा पेशा गृहणी/कृषि
तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र) —————आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर सिंगरौली —————अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन आदेश विरुद्ध न्यायालय
श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा श्रृंखला
न्यायालय सीधी सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक
396/2017-18 अपील में पारित आदेश
दिनांक 09.01.2018 साथ ही आदेश विरुद्ध
न्यायालय कलेक्टर सिंगरौली के प्रकरण क्र.
7 अपील 16-17 आदेश दिनांक 11.12.2017
एवं उपखण्ड अधिकारी देवसर जिला
सिंगरौली के प्रकरण क्र.90/अ-2/16-17
में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 से
व्यथित होकर प्रस्तुत है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व

352 कलकत्ता
2/3/18
मसूदा प्राथमिक क्र. 16/3/18
दिनांक 16/3/18
शुभम

Shubam
2/3/18

[Handwritten signature]

2

2

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक/दो/निग/सिंगरौली/भूरा/2018/162A

सदर्या वनाग शासन

स्थान तथा दिनांक

कायदाही तथा आदेश

पक्षकारी एवं अभिशापको
आदि के हस्तक्षर

06-07-18

आवेदक के अधिवक्ता श्रीएस0के0वाजपेई उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री सिराज कुरेशी उपस्थित हुए उभय पक्ष को कायमी पर सुना गया प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आलोच्य आदेश दि० 09/01/18 में उल्लिखित किया है कि ललितपुर सिंगरौली न्यू रेल्वे लाईन में प्रस्तावित भूमि के अर्जन की प्रारंभिक अधिसूचना जारी हो जाने के उपरांत प्रभावित भूमि के व्यपवर्तन कार्यवाही किया जाना औचित्यहीन है इसी तथ्य के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा आलोच्य आदेश पारित कर प्रकरण कायमी के बिंदु पर ही समाप्त किया गया है प्रकरण की भूमि रेल्वे लाईन से संबंधित होकर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उपयोगी है तथा आवेदक ने नोटिफिकेशन के उपरांत व्यपवर्तन चाहा है जो औचित्यहीन है

अतः अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है प्रथमदृष्टया प्रकरण में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं होने से प्रकरण अग्रगण्य किया जाता है

सदर्या 6/7/18

Handwritten signature